



उत्तर प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर पर संगीत शिक्षा की स्थिति

शोध पत्र

शोध निर्देशक

प्रो.पं.जयन्त खोत

(पूर्व विभागाध्यक्ष)

संगीत एवं प्रदर्शन कला विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

शोध छात्र

राघवेन्द्र सिंह

JRF/SRF Music

संगीत एवं प्रदर्शन कला विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

सारांश (Abstract)

संगीत कला गुरु मुखी विद्या है जिसे गुरु के सम्मुख बैठ कर ग्रहण करना उचित मानी जाती है। संगीत शिक्षा का प्रचार-प्रसार दैवीय काल से ही चला आ रहा है। और यह क्रम प्राचीनकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल में भी चल रहा है। संगीत कला को राजदरबारों, गुरु शिष्य परम्परा तथा घरानों में अच्छा सम्मान प्राप्त हुआ।

वर्तमान समय में संगीत शिक्षा विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक दी जा रही है, संगीत की संस्थागत शिक्षा का श्रेय पं.विष्णु नारायण भातखण्डे तथा पं. विष्णु दिग्मबर पुलुस्कर जी को जाता है। संगीत में सात स्वरों के मध्य जो स्थान मध्यम स्वर का है भारतीय शिक्षा में वही स्थान माध्यमिक शिक्षा का है। विद्यार्थी के जीवन में माध्यमिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, अतः संगीत की माध्यमिक शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। यही समय होता है जब विद्यार्थी अपने जीवन की राह चुनते हैं कि वह डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कलाकार, शिक्षक इत्यादि किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। ताकि वह अपने भविष्य का निर्धारण स्वयंम कर सकें, प्रस्तुत शोध पत्र में इसी विषय पर चर्चा की जा रही है।



Key words & संगीत शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय, संस्थागत शिक्षा

भूमिका—किसी भी देश की संस्कृति और सभ्यता का अनुमान उस देश की संगीत—कला की अवस्था से लगाया जाता है।

—प्लेटो (दार्शनिक)

भारत का हर एक घर, चाहे वह गरीब का हो या धनवान का, उसमें से संगीत की आवाज आनी—चाहिए। क्योंकि हम लोग स्वाभावतः संगीतप्रिय समाज के सदस्य हैं और वह हमें परम्परा से प्राप्त है।

—पं० विष्णुनारायण भातखण्डे

प्राचीन परम्परा से लेकर आधुनिक शिक्षा व्यवस्था तक सम्पूर्ण जगत शिक्षा की तरफ उन्मुख रहा है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, जो निरन्तर चलती रहती है। मानव समाज का सर्वांगीण विकास शिक्षा पर ही निर्भर है। साथ ही राष्ट्र एवं विश्व का विकास भी शिक्षा पर निर्भर है। किसी राष्ट्र अथवा देश की पहचान उसकी संस्कृति से होती है। हमारे भारत वर्ष की संस्कृति पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जिसका प्रमुख कारण हमारे देश का उच्च कोटि का संगीत है। जो सभी को मंत्र मुग्ध कर देता है।

भारत में संगीत शिक्षण की परम्परागत पद्धति का प्रचलन प्राचीन काल ही चला आ रहा है, जिसमें गुरु का शिष्य को शिक्षा प्रदान करना और शिष्य द्वारा शिक्षा ग्रहण करने की परम्परा विद्यमान थी। शिक्षा का आदान—प्रदान गुरु के द्वारा संचालित होना ही प्राचीनकाल की संगीत शिक्षण की मुख्य विशेषताओं में से एक है।

जिस प्रकार वेद, स्मृति, दर्शन, उपनिषद् आदि सम्पूर्ण प्राचीन साहित्य श्लोकों के रूप



में कंठस्थ किया जाता था, उसी प्रकार संगीत जिसे प्रधानतः मौखिक और क्रियात्मक कला माना जाता था, और वर्तमान समय में भी माना जाता है।

18वीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध भारतीय इतिहास के सबसे वैभवशाली कालों में गिना जाता है। इसी कालावधि में 1850 ई० से 1900 ई० तक भारत के क्षितिज पर ऐसे बहुत से व्यक्ति उभरे जिन्होंने हमारे सांगीतिक जीवन की सभी दिशाओं में प्राण फूकने की, कोशिश की जिसमें दो महान नायक पं० विष्णु दिगम्बर पुलुस्कर एवं पं० विष्णु नारायण भातखण्डे हुए। जिन्होंने अपने जीवन को निस्वार्थ भाव से संगीत के उत्थान के लिए समर्पित करने का फैसला लिया जो पूरी तरह संगीत को समर्पित था।

विभिन्न विषयों की भांति संगीत के लिए भी एक अलग से विद्यालय हो। पं० पुलुस्कर जी ने सन् 1901 को लौहार में गंधर्व महाविद्यालय की नींव रखी। अपनी तरह का भारत में यह पहला विद्यालय था जहां संगीत की संस्था थी, तथा इसके साथ ही अन्य संगीत संस्थाओं का उदय हुआ।

पं० भास्कर राव बखले द्वारा पूना में 1874 ई० में भारत गायन समाज के नाम की संस्था की स्थापना हुई थी बम्बई में पारसियों द्वारा 1890 के पूर्व ही—गायनोत्तेजक मण्डल की स्थापना हुई। सन् 1880 के कुछ पहले जामनगर में पं० आदित्य राम ने संगीत के सामूहिक शिक्षण का प्रयास किया था। इसी दिशा में निश्चित प्रयत्न सन् 1886 में बड़ोदा में हुआ, जहां श्री मंत सयाजी राव गायकवाड़ द्वारा संगीत विद्यालय प्रारम्भ करवाया गया यही विद्यालय बाद में बड़ोदा स्टेट आफ म्यूजिक स्कूल कहलाया। सन् 1901 में लाहौर में पं० विष्णु दिगम्बर पुलुस्कर जी द्वारा गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की गई।

सन् 1906 में डॉ० एनी वेसेन्ट द्वारा थियोसोफिकल विद्यालय की स्थापना बनारस में



की गई, जिसमें संगीत को शिक्षा का विषय बनाया गया। पं० विष्णु नारायण भातखण्डे जी द्वारा सन् 1918 में ग्वालियर में, 1920 में बड़ोदा में तथा 1926 में लखनऊ में संगीत विद्यालयों का प्रारम्भ किया गया। इसी समय इलाहाबाद में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना हुई।

आज संगीत की शिक्षा हेतु जहां देश के लगभग हर नगर में संगीत विद्यालय प्रारम्भ हो चुके हैं। विश्वविद्यालयों में संगीत संकाय अथवा विभाग कार्यरत है जहां लगभग सभी प्रान्तों में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी संगीत को एक विषय की भांति समाविष्ट किया जा चुका है।

प्राथमिक स्तर पर संगीत शिक्षा—

प्राथमिक स्तर पर संगीत की शिक्षा एक विषय के रूप में न देकर मनोरंजन के तौर पर दी जाती है। जो कि कॉन्वेंट स्कूल तथा नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, इत्यादि विद्यालयों में प्राथमिक स्तर पर संगीत केवल औपचारिकता के रूप में सिखाया जाता है, परन्तु समस्या यह है कि शास्त्रीय प्राथमिक विद्यालयों में संगीत शिक्षा का अभाव है जिससे लाखों विद्यार्थी इस कला से वंचित रह जाते हैं। बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु संगीत कला एक सशक्त माध्यम है। बालकों के अपरिपक्व मस्तिष्क एवं कोमल हृदय में संगीत के द्वारा किसी भी जटिल से जटिल विषय को सरलता से अंकित किया जा सकता है। यह (संगीत) एक ऐसी कला है जो कि प्रत्येक व्यक्ति को विशेषतः अव्यवस्कों को अपनी ओर से आकर्षित करने की अदभुत क्षमता रखती है।

यदि बालकों को वाल्यावस्था से ही संगीत सिखाया जाए तो उनकी कला—प्रतिभा उभर कर सामने आती है। कुछ बालकों में संगीत कला की प्रतिभा जन्मजात ही देखने को



मिलती है। ऐसे बालकों का चयन कर उन्हें प्रारम्भ से ही संगीत की शिक्षा दी जाय तो वे इस कला को पूर्ण रूप से आत्मसात करके जीवन में संगीत के प्रति एक सही दिशा प्राप्त कर सकते हैं।

नारदीय शिक्षा में संगीत कला का शिक्षण प्राप्त करने हेतु उपयुक्त आयु का भी उल्लेख है। नारद मुनि के अनुसार 6 से 16 वर्ष तक की आयु संगीत के लिए उत्तम मानी गयी है, क्योंकि इस आयु में बालकों की कण्ठतंत्रियों में लचीलापन होता है, व साधना से इसे लचीला बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बालकों की मानसिक वृत्तियों को भी किसी दिशा विशेष की ओर प्रवाहित किया जा सकता है।

प्राथमिक विद्यालयों में बालकों को अनेक विषयों जैसे—गणित, विज्ञान, हिन्दी, इत्यादि विषयों की शिक्षा दी जाती है। इनके साथ ही संगीत की शिक्षा कविताओं के माध्यम से दी जाए, तो इससे विद्यार्थियों को काफी लाभ होगा, तथा कविता आसानी से याद हो जायेगी उदाहरण के लिए—यदि आरम्भिक शिक्षा (चार वर्षीय बालकों के लिए) में बालकों को हिन्दी वर्णमाला सीखने से तो वे निम्न लयबद्ध कविता से सहज ही सीख लेंगे—

अ से अनार, आ से आम। होते हैं सब बिगड़े काम।।

इ से इमली, ई से ईख। अच्छी—अच्छी बातें सीख।।

इत्यादि, इस प्रकार से संगीत शिक्षा बालकों के विकास में अनेक प्रकार से लाभ प्रदान करती है। प्राथमिक स्तर पर बालकों में उल्लास, उमंग, बंधुत्व, देश प्रेम, आदि कई भावनाओं को, उद्धीत करने वाले सामूहिक गीतों एवं नृत्यों का अनिवार्य शिक्षण होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा का कुछ संस्थाओं में इस प्रकार के प्रयास किये जाते हैं। तो कुछ संस्थाओं में बिल्कुल नहीं। बालक की प्राथमिक शिक्षा में समूह गान एवं नृत्य का महत्व सभी शिक्षा शास्त्रियों ने



द्वारा स्वीकार किये हैं। प्राथमिक शिक्षा की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत, देश के सभी प्राथमिक शालाओं में उपयोगी संगीत शिक्षण का प्रावधान किया गया है।

माध्यमिक स्तर पर संगीत शिक्षा—

माध्यमिक स्तर पर संगीत की शिक्षा विषय के रूप में दी जा रही है। जिसमें गायन वादन, नृत्य, सितार इत्यादि कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम में विषय के रूप में स्थापित है। शिक्षा के पूर्व माध्यमिक स्तर तक संगीत शिक्षण का प्रावधान वैकल्पिक विषय के रूप में होना चाहिए, तथा उसमें संगीत की सैद्धान्तिक बातों के प्रारम्भिक शिक्षा के साथ एकता एवं सामूहिक गीत, लोक गीत, तथा बालिकाओं हेतु सुगम एवं लोक नृत्यों का शिक्षण भी प्रदान किया जा सकता है।

माध्यमिक स्तर पर शास्त्रीय संगीत को लड़कों एवं लड़कियों दोनों के लिए वैकल्पिक विषय की भांति रखते हुए शास्त्रीय संगीत, सुगम एवं लोक संगीत तथा नृत्य का मिला जुला शिक्षण चलना चाहिए। अभी तक अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों में केवल लड़कियों के लिए गायन विषय बहुत कम विद्यालयों में है। लगभग सभी प्रांतों वाद्य संगीत एवं नृत्य शिक्षा का प्रावधान नहीं है।

इन्हीं कारणों की वजह से संगीत विषय अन्य विषयों के प्रतिशत में बहुत कम है, क्योंकि पहली समस्या प्राथमिक स्तर से संगीत शिक्षा नहीं दी जाती है तथा दूसरी समस्या माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थी संगीत को सोच-समझकर विषय के रूप में चयन नहीं करते हैं।

विश्वविद्यालय स्तर पर संगीत शिक्षा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार संगीत विषय विश्वविद्यालय, स्तर पर अच्छी तरह से फलीभूत हो रहा है। जिसमें संगीत शिक्षा—स्नातक, परास्नातक तथा शोध स्तर तक



विधिवत तरीके से शिक्षा प्रदान की जा रही है।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों, में संगीत विभाग संचालित है। जिसमें संगीत विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त अनेक विश्वविद्यालयों में संगीत के प्रथक विभाग भी स्थापित हुए हैं। इनमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, इत्यादि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खेरागढ़, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ोदा, कर्नाटक विश्वविद्यालय, कर्नाटक, पंजाबी विश्वविद्यालय इत्यादि विभिन्न विश्वविद्यालय हैं।

इनके साथ ही अनेक महाविद्यालयों में भी संगीत के विभाग संचालित हैं। सन् 2000 से पहले भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय भी महाविद्यालय के नाम से ही जाना जाता था। इन सभी में संगीत के डिप्लोमा तथा डिग्री स्तर के पाठ्य क्रम चल रहे हैं।

जिसमें— बी०ए०, बी०पी०ए० बी०म्यूज, (स्नातक)

एम०ए०, एम०पी०ए०, एम म्यूज, (परास्नातक)

डी०फिल०, पी०एच०डी०, डी०लिट० (शोधस्तर)

आदि की उपाधिक हेतु निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार शिक्षण कार्य सुविधाएँ उपलब्ध करा रहे हैं। इस प्रकार संगीत जगत में संस्थागत शिक्षण द्वारा, क्रान्तिकारी परिवर्तन आए, असंख्य संगीत प्रेमी सम्पूर्ण भारत के कोने-कोने में स्थापित असंख्य संस्थाओं में सहज रूप से संगीत शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

इन सब प्रयासों के वाद भी स्थिति कुछ निराशाजनक देखने को मिलती है। इसका प्रमुख कारण छात्रों को सीधे स्नातक स्तर पर संगीत विषय लेने की अनुमति के कारण है, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी सामान्य जानकारी न रखते हुए भी सीधे स्नातक स्तर पर संगीत



विषय का चयन कर लेते हैं। जिससे बाद में उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तथा इसके साथ ही शिक्षकों के सामने भी समस्या रहती है, कि विद्यार्थियों के मन में स्वर-ताल की समझ किस प्रकार बैठाया जाए।

दूसरी समस्या छपे हुए नोट्स बांटकर परीक्षा की तैयारी करवाना निरर्थक है। अतः इन सब समस्याओं के समाधान के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाये जा सकते हैं। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों केवल उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाए, जिन्हें माध्यमिक स्तर पर संगीत के साथ-साथ वाद्ययंत्रों का भी ज्ञान हो। संगीत शिक्षा का जो स्वरूप आज हमारे सम्मुख है, उसे देखकर लगता है कि संगीत शिक्षा के मूल उद्देश्यों को भूलकर हमारी शिक्षा-व्यवस्था भटक रही है।

अतः इस समस्या का समाधान करना आवश्यक है। समस्या का समाधान ढूँढते समय विषय की गरिमा, उसका महत्व, शिक्षा के मूल उद्देश्य और विद्यार्थियों का भविष्य इत्यादि सभी का ख्याल रखना जरूरी है। विषय की मांग की दृष्टि से विश्वविद्यालय अथवा संस्था के नियम बंधनों में परिवर्तन होने चाहिए अर्थात् प्रवेश व्यवस्था, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली इस प्रकार की हो, जिससे संगीत का प्रायोगिक पक्ष अधिक प्रबल हो और योग्य विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके।

निष्कर्ष— इस समस्या के लिए समाधान हेतु अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है विद्यार्थियों को प्रवेश देने से पूर्व उनकी योग्यता की जाँच करना आवश्यक है ताकि शिक्षण कार्य सही तरह से हो सके इसके साथ शिक्षा देने वाले गुरु एवं शिक्षक भी योग्य होने चाहिए और जिस संस्था से पाठ्यक्रम अथवा डिग्री डिप्लोमा करना है उसकी मान्यता सही होनी चाहिए इसके साथ ही वहाँ की फीस इत्यादि विद्यार्थियों के हिसाब से हो तो अच्छा है



वर्तमान समय से हो रहे तकनीकी बदलाव का प्रयोग किस प्रकार हो रहा है इन सभी बातों का ध्यान रखकर शिक्षण कार्य किया जाए तो अच्छा परिणाम प्राप्त किया जा सकता है—

संदर्भ सूची

1. संगीत पत्रिका—संगीत शिक्षा अंक—जनवरी—फरवरी (1988) संगीत कार्यालय हाथरस
2. भारतीय संगीत—शिक्षा और उद्देश्य—डॉ० पूनम दत्ता
3. शास्त्रीय संगीत की लोकप्रियता में सांगीतिक संस्थाओं का महत्व— डॉ० भावना रानी
4. भारतीय संगीत में गुरु—शिष्य परम्परा और संस्थागत संगीत शिक्षा— डॉ० पुष्पम नारायण